6. Fiscal incentives are given to industries for wood substitution.

7. Efforts are being made to control shifting cultivation.

8. Guidelines have been issued to State Governments from time to time for protection of forests. Some of these guidelines are as follows:

(i) To avoid clear felling of natural forests and where such felling are inevitable for restoration of crop or other silvicultural considerations, it should be restricted to areas not exceeding 10 hectares in the hills and 25 hectares in the plains.

(ii) To consider banning of fellings in the hills above 1000 metres, at least for some years.

(iii) To identify critical areas in the hills and mountains which require protection from felling of forests and need immediate vigorous afforestation.

(iv) To set apart 4 per cent of the geographical area as protection area like wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves etc.

Statement

Total Forest Area at the beginning of each Five Year Plan

Year	Total forest area (in million ha.)
1950-51	71.80
1955-56	71 08
1960-61	68.98
1968-69	75.00
1973-74	75.77
1979-80	74 61
1985-86	75 29

सरकारी व्यय में किफायत

140. **श्री अजीत जोगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान किये जाने वाले व्यय में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति अपना प्रस्ताव कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को इस आशय के निदेश जारी किए हैं कि वे अपने व्यय में 5 से 10 प्रतिशत तक की कटौती करे; और

(घ) यदि हां, तो उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने तदनुसार अपने व्यय में कटौती की है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गदवी) : (क) वर्ष 1988–89 में समग्र बजटीय स्थिति में किसी गिरावट से बचने के लिए और व्यय को नियंत्रित करने के लिए उपाय सुझाने के लिए तथा ऐसी सिफारिशें करने के वास्ते जिनसे 1989–90 में व्यय को नियंत्रित करने में मदद मिले, सरकार ने मंत्रीमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है ।

(ख) इस समिति द्वारा किया गया विचारविमर्श सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय की आंतरिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है ।

(ग) और (घ) मंत्रालयों को हिदायतें दी गई हैं कि वे खर्च में अधिक से अधिक किफायत बरतें और जहां तक सम्भव हो अतिरिक्त आवश्यकताओं को बजट व्यवस्थाओं के अन्दर ही पूरा करें ।